निर्णय बइजलास मोहन लाल प्रतिहार (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ (राज0)
प्रकरण सं 524/2015

तारीख दायरा:– 23.3.2015

उनवान

1. नन्दलाल पुत्र प्रभूलाल जाति कुल्मी निवासी नयापुरा तह0 झा0पाटन
2. दिनेश पुत्र प्रभूलाल जाति कुल्मी निवासी नयापुरा तह0 झा0पाटन –वादीगण

बनाम

1. चेनाराम पुत्र माधोलाल जाति कुल्मी निवासी झूमकी तह0 झालरापाटन
2. कालू पुत्र माधोलाल जाति कुल्मी निवासी झूमकी तह0 झालरापाटन
3. घनश्याम पुत्र माधोलाल जाति कुल्मी निवासी झूमकी तह0 झालरापाटन
4. राधेश्याम पुत्र माधोलाल जाति कुल्मी निवासी झूमकी तह0 झालरापाटन
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार झालरापाटन –प्रतिवादीगण

वाद धारा 88, 91, 92ए, 188, 209 आरटीए

उपस्थित– विद्वान अभिभाषक – श्री बद्रीलाल महेश्वरी–वादीगण (एकपक्षीय)

निर्णय

निर्णय दिनांक – 28.08.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम नयापुरा पटवार क्षेत्र झूमकी भू–अभिलेख निरीक्षक समराई तहसील झालरापाटन की खेवट संख्या नया 43 पुराना 42 के अनुसार प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 4 के खाते आराजी खसरा नम्बर 494/726 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 495/728 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 500 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 506 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 510 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 566 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 567 रकबा 1बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 568/730 रकबा 2 बिस्वा कुल 8 किता रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा खाते दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम नयापुरा तहसील झालरापाटन के माल खेवट संख्या नया 61 पुराना 59 के अनुसार वादीगण के खाते आराजी खसरा नम्बर 568/729 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 569 रकबा 16 बिस्वा कुल दो किता की 18 बिस्वा आराजी स्थित है। प्रश्नगत आराजी में से खसरा नम्बर 567 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 568/730 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा को वादी अपने खाते घोषित कराने एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा का दावा मान0 न्यायालय में पेश है। प्रश्नगत आराजी में से खसरा नम्बर 567 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 568 रकबा 2 बिस्वा कुल दो किता कुल रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा को प्रतिवादीगण से दिनांक 25.6.1997 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। उक्त आराजी पर वादीगण का कब्जा एलानिया शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के चला आ रहा है। खाता संख्या नया 61 पुराना 59 की कुल किता 2 रकबा 18 बिस्वा को जेतराम, प्रभूराम, रामगोपाल पुत्र देवलाल जाति कुल्मी निवासी झूमकी तहसील झालरापाटन से दिनांक 25.6.1997 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रय की थी। वादीगण ने विवादित आराजी एवं उक्त आराजियात को एक ही दिन दिनांक 25.6.1997 को क्रय की थी एवं कब्जा प्राप्त किया था। वादीगण ने दो बयनामे पटवारी हल्का को नामान्तरकरण तस्दीक करने के लिए एक साथ दिए थे किन्तु पटवारी हल्का ने एक रजिस्टर्ड बयनामा का इन्तकाल तस्दीक किया एवं एक का नहीं किया तथा वादी से कहा कि मैंने दो बयनामों के नामान्तकरण तस्दीक कर दिये हैं। दिनांक 25.6.1997 रजिस्टर्ड बयनामा से खरीदने के बाद से कब्जा एवं काश्त विवादित आराजी पर निरन्तर निर्विवाद रूप से जायज अज 12 साल से लगातार एलानिया शांतिपूर्वक कब्जा एवं मुखलफाना की तारीफ में चला आ रहा है जिस कारण वादीगण विवादित आराजी मुन्दर्जा में वर्णित आराजी में से खसरा नम्बर 567 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 568/730 रकबा 2 बिस्वा कुल 2 किता कुल रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा को अपने खाते घोषित कराने का पात्र है। नकल जमाबंदी निकलवाने पर वादी को पता चला कि खसरा नम्बर 567 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नम्बर 568/730 रकबा 2 बिस्वा कुल 2 किता रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा तो प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के ही दर्ज है। इस कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य वाद उत्पन्न हुआ।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़ (राज0)

P.T.O

Scanned by CamScanner

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगणों की तरफ से वकील श्री रवजोत सिंह ने दिनांक 8.7.2019 को वकालतनामा पेश कर प्रतिवादीगण की तरफ से इकबाली जवाबदावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली पेश किया गया है। पत्रावली में प्रतिवादीगण की ओर से इकबाली जवाबदावा प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम नहीं की जाकर साक्ष्य एकतरफा वादीगण में रखी गई। एकतरफा साक्ष्य में वादी ने नन्दलाल जो स्वयं वादी है का तस्दीकशुदा शपथ–पत्र पेश किया तथा दस्तावेज प्रदर्श करवाया तथा पत्रावली आदेश में रखी गई।

अतः पत्रावली में इकबाली जवाबदावा प्राप्त एवं एकतरफा साक्ष्य प्राप्त होने पर पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रदर्श कराये गए दस्तावेजात जमाबंदी सम्वत 2069–72 प्रदर्श–1, जमाबंदी सम्वत 2069–72 प्रदर्श– 2 एवं रजिस्टर्ड बयनामा जो प्रतिवादीगणों ने वादीगण के पक्ष में कराया था, प्रदर्श–3 अवलोकन करने के बाद प्रकरण प्रथम दृष्टतया वादी के पक्ष का प्रतीत होता है तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.6.1997 के अनुसार वादी प्रश्नगत आराजी में से खसरा नम्बर 567 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 568/730 रकबा 2 बिस्वा कुल 2 किता रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा का खातेदार टीनेन्ट घोषित होने योग्य है तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने इस आशय के साथ कि वादीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीदी गई जमीन पर किसी भी तरह का बेजा मदालखत व मजाहमत उत्पन्न ना करें ओर ना ही अन्य किसी ओर से कराए योग्य है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अतः वाद वादीगण फर्द डिक्री किया जाता है तथा आदेश है कि ग्राम नयापुरा पटवार हल्का झूमकी भू–अभिलेख निरीक्षक समराई की खसरा नम्बर 567 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 568/730 रकबा 2 बिस्वा कुल 2 किता रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद की गई जमीन पर किसी भी तरह की बेजा मदालखत व मजाहमत उत्पन्न ना करें ओर ना ही अन्य किसी ओर से कराए। तहसीलदार झालरापाटन निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फर्द डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़ (राज.)
(मोहन लाल प्रतिहार)
उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

Scanned by CamScanner

[redacted]/फर्द डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, झालावाड़

पीठासीन अधिकारी :– उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़

उनवान

1. नन्दलाल पुत्र प्रभूलाल जाति कुल्मी निवासी नयापुरा तह0 झा0पाटन
2. दिनेश पुत्र प्रभूलाल जाति कुल्मी निवासी नयापुरा तह0 झा0पाटन –वादीगण

बनाम

1. चेनाराम पुत्र माधोलाल जाति कुल्मी निवासी झूमकी तह0 झालरापाटन
2. कालू पुत्र माधोलाल जाति कुल्मी निवासी झूमकी तह0 झालरापाटन
3. घनश्याम पुत्र माधोलाल जाति कुल्मी निवासी झूमकी तह0 झालरापाटन
4. राधेश्याम पुत्र माधोलाल जाति कुल्मी निवासी झूमकी तह0 झालरापाटन
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार झालरापाटन –प्रतिवादीगण

वाद धारा 88, 91, 92ए, 188, 209 आरटीए

प्रकरण सं 524/20115 तारीख दायरा:– 23.3.2015

निर्णय दिनांक : 28.08.2019

अतः वाद वादीगण फर्द डिक्री किया जाता है तथा आदेश है कि ग्राम नयापुरा पटवार हल्का झूमकी भू–अभिलेख निरीक्षक समराई की खसरा नम्बर 567 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 568/730 रकबा 2 बिस्वा कुल 2 किता रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद की गई जमीन पर किसी भी तरह की बेजा मदालखत व मजाहमत उत्पन्न ना करें ओर ना ही अन्य किसी ओर से कराए। तहसीलदार झालरापाटन निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फर्द डिक्री जारी की जाती है।

यह आज तारीख 28.9.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,........

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प			
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		प्लीडर की फीस	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
6. कमिश्नर की फीस		आदेशिका की तामील	
7. आदेशिका की तामिल		कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner